



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 22/2020/1452/36-3-2020-1447-(विविध)-2010

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-449

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, श्री ओम प्रकाश भारती, निदेशक, कारखाना (प्रभारी) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 'मुख्य निरीक्षक' नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,  
सुरेश चन्द्रा,  
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 22/2020/1452//XXXVI-3-2020-1447(Vividh)-2010, dated December 18, 2020 :

No. 22/2020/1452//XXXVI-3-2020-1447(Vividh)-2010

*Dated Lucknow, December 18, 2020*

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 8 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948) hereinafter referred to as the said Act, Governor is pleased to appoint Shri Om Prakash Bharati, Director of Factories (Incharge) as 'Chief Inspector' for the purpose of the said Act for the entire state of Uttar Pradesh from the date of his taking over charge.

By order,  
SURESH CHANDRA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*